

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2017/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मंहगाई भत्ते के एरियर्स में से NPS कटौती कर प्रान खाते में जमा करने बावत् ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/17/नियम/चार दिनांक 17-2-2017.


-♦-

यह समक्ष में आया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अभिदाताओं को वेतन, भत्तों की विभिन्न कारणों से देय एरियर्स राशि से NPS योजनान्तर्गत अभिदान का कटौती हो रहा है ।

2/ समस्त शासकीय सेवकों के वेतन, भत्तों का आहरण IFMIS के संबंधित माड्यूल्स के अन्तर्गत होता है एवं उपरवर्णित अभिदान हेतु इस साफ्टवेयर में आवश्यक प्रणाली विकसित की जा रही है । चूंकि साफ्टवेयर में आवश्यक प्रणाली विकसित होने में अभी कुछ समय लग सकता है । अतः NPS अभिदाताओं के एरियर्स से कटौती संभव नहीं हो पा रहा है ।

3/ अतः साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था होने तक NPS अभिदाताओं के एरियर्स के देयकों का आहरण पूर्व प्रक्रिया की भांति किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अनिल कुमार मुकुजी)


प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(शक्ति शरण)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग